आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जा सकेगी । उर्पयुक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल संयोजक को छोड़कर नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा उर्पयुक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने पर स्थायी प्रन्यासी मण्डल अपने सदस्योंमें से अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा जिनका कार्यकाल निर्वाचन तिथि से तीन वर्ष का रहेगा। हर तीन वर्ष पश्चात अध्यक्ष का निर्वाचन प्रन्याी मण्डल द्वारा किया जायेगा । शेष सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति संयोजक के परामर्श पर अध्यक्ष करेगा। पदाधि ाकारियों कीनियुक्ति में देरी की स्थिति में कार्यरत पदाधिकारी कार्य करते रहेंगे।

9- प्रन्यासी मण्डल के कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य -

क - प्रन्यासी का त्याग-पत्र स्वीकार अथवा अस्वीकार करना ।

ख - यथेष्ठ कार्य होने पर किसी प्रन्यासी को उसके पद से हटाना किन्तु यह कार्य प्रन्यासी मण्डल के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जायेगा।

ग - अध्यक्ष का निर्वाचन करना ।

घ - न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी कार्य आवश्यक एवं वांछनीय हो करना व कराना।

ड - न्यास की नीतियों का निर्धारण करना।

च - वार्षिक बजट को स्वीकृत करना।

छ - लेखा पुस्तकों वार्षिक आय-व्यय खाता, चिटटा एवं अंकेक्षक की रिर्पोट पर विचार व स्वीकृति प्रदान करना।

ज - अगले सत्र के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

झ - स्थान रिक्त होने पर स्थायी व अस्थायी प्रन्यासी नियुक्त करना ।

संयोजक के परामर्श पर अध्यक्ष के आदेश से प्रन्यासी मण्डल की बैठक आयोजित की जायेगी प्रन्यासीगण साधारणतः अपने निर्णय ऐसी बैठकों में करेंगें जिनके समय स्थान तथा कार्य सूची की सम्यक सूचना दी जा चुकी हो अति आवश्यक होने पर कम अवधि की सूचना पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।

10- प्रन्यासी मण्डल की बैठक -

वर्ष में कम से कम दो बार प्रन्यासी मण्डल की बैठक आयोजित होगी । बैठक की कार्यवाही , कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जायेगी ।

- - -६